भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं. 3274
दिनांक 9 दिसम्बर, 2019

होम डलीवरी शुल्क

3274. श्री राजू बिष्टः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या दार्जि लंग और क लम्पोंग पहाड़ी जिलों में एलपीजी सहित पेट्रो लयम उत्पादों के उपभोक्ताओं से सरकार द्वारा निर्धारित अ धकतम खुदरा मूल्य से अ धक लो डंग-अनलो डंग-परिवहन शुल्क लया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस मुद्दे के समाधान के लए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) और (ख) तेल वपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने यह बताया है क दुर्गम क्षेत्रीय वतरक को छोड़कर, सभी डस्ट्रीब्यूटर को बिना कसी अतिरिक्त प्रभारों के ग्रामीण क्षेत्रों सहित अपने प्रा धकृत प्रचालन क्षेत्र में एलपीजी स लंडरों की घर पर सुपुर्दगी करने के लए निर्देश दिए गए हैं। तथा प, राज्य/केन्द्र शा सत सरकार ओएमसीज के साथ परामर्श करके केवल उन मामलों में अतिरिक्त सुपुर्दगी प्रभार तय कर सकती हैं, जहां भौगो लक क्षेत्र और/अथवा वतरण के क्षेत्र में दूरी को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो।

******